गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ॰ ग॰)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)
Tel: 07752-260000, 260003, Fax: 07752-260154
Website: www.ggu.ac.in Email: info@ggu.ac.in

क्र॰/ 1441 /परीक्षा/2011 बिलासपुर, दिनाँक : 03.12.2011

अधिसूचना

विश्वविद्यालय की कला, समाज विज्ञान, विज्ञान, जीव विज्ञान, वाणिज्य, शा॰शि॰, गृह विज्ञान, विधि एवं शिक्षा संकायों के अंतर्गत मुख्य परीक्षा वर्ष 2012 (सत्र 2011–12) में आयोजित होने वाली विभिन्न स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि एवं पत्रोपाधि परीक्षाओं हेतु समस्त परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथियां निम्नानुसार घोषित की जाती है :–

छात्र/छात्राओं द्वारा महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि	**बिना विलम्ब शुल्क के साथ**	**विलम्ब शुल्क रूपये 100.00 (सौ) के साथ**
स्वाध्यायी/भूतपूर्व /पूरक (अंतिम अवसर) छात्रों के लिये	**दिनाँक 05/12/2011 से 24/12/2011तक**	**दिनाँक 26/12/2011 से 31/12/2011 तक**

<u>टीप–</u>**1)भूतपूर्व परीक्षार्थी** –सत्र 2010–11 की मुख्य परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी ।

2) बी.ए./बी.काम/बी.एससी भाग–एक के सत्र 2010–11 के भूतपूर्व छात्र/छात्राएं पात्रतानुसार सत्र 2011–12 के लिये प्रचलित पाठ्यक्रमानुसार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें।

3)बी.ए./बी.काम/बी.एससी भाग–एक एवं एम.काम पूर्व के भूतपूर्व छात्रों के परीक्षा शुल्क,बी.काम/ बी.एससी. भाग–दो के भूतपूर्व छात्रों के लिये निर्धारित परीक्षा शुल्क के समकक्ष(रूपये 520.00)होंगी।

छात्रों को परीक्षा आवेदन पत्र महाविद्यालयों से **दिनांक 05/12/2011** से प्राप्त हो सकेगें ।

महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय में उपर्युक्त परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि(जिलावार)	
जिला का नाम	**जमा करने की तिथि**
1. जांजगीर–चांपा जिला के समस्त महाविद्यालय	**10/1/2012**
2. कोरबा जिला के समस्त महाविद्यालय	**11/1/2012**
3. रायगढ़ जिला के समस्त महाविद्यालय	**12/1/2012**
4. बिलासपुर/कवर्धा जिला के समस्त महाविद्यालय	**13/1/2012**
5. बिलासपुर के स्थानीय महाविद्यालय के लिये	**14/1/2012**

टीप :– *उक्त निर्धारित तिथि पूर्व महाविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है किन्तु निर्धारित तिथि तक परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं करने पर महाविद्यालय को रूपये 1000.00 (एक हजार) प्रतिदिन विलम्ब शुल्क देय होगा।*

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों से निवदेन है कि कृपया उपरोक्तानुसार अंकित तिथियों में परीक्षा आवेदन पत्रों को अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था करें।

01. परीक्षा आवेदन पत्र सीधे ''विश्वविद्यालय कार्यालय'' में जमा नहीं होंगे। परीक्षार्थी संबंधित परीक्षा केंद्र/महाविद्यालय से परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित करायेंगे तथा उसी परीक्षा केन्द्र पर जमा करेंगे।

02. पूरक परीक्षा वर्ष 2011 में सम्मिलित हुये परीक्षार्थियों को पूरक परीक्षा वर्ष 2011 के परीक्षा परिणाम घोषित होने एवं महाविद्यालय में अंकसूची प्राप्त होने की तिथि से सात दिवस के अंदर बिना विलम्ब शुल्क के परीक्षा आवेदन पत्र महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों में जमा करने की अनुमति दी जाती है।

03. पुनर्मूल्यांकन /पुनर्गणना के फलस्वरूप उत्तीर्ण होने वाले स्नातकोत्तर छात्र/छात्राओं को आगामी परीक्षा 2011 के लिये परीक्षा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु पुनर्मूल्यांकन /पुनर्गणना परिणाम घोषित होने के या अंकसूची प्राप्त होने की तिथि से 10 दिवस के अन्दर बिना विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन पत्र महाविद्यालय में जमा करने की अनुमति दी जाती है ।

04. स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों को स्नातक प्रथम,द्वितीय की अंकसूची , स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रथम वर्ष की अंकसूची,स्नातकोत्तर अंतिम को पूर्व की एवं स्नातकोत्तर पूर्व के छात्रों को स्नातक अंतिम की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

05. स्नातकोत्तर कक्षा के छात्र/छात्रायें अपने परीक्षा आवेदन पत्र में लिये गये विषय/प्रश्न पत्र को अवश्य लिखेंगे अन्यथा परीक्षा परिणाम घोषित करने में विलम्ब हो सकता है।

06. स्वाध्यायी/भूतपूर्व/पूरक अंतिम अवसर के छात्र अपने परीक्षा आवेदन पत्र के प्रथम पृष्ठ एवं द्वितीय पृष्ठ पर चालान कमांक एवं राशि का पूर्ण उल्लेख करें ।

आदेशानुसार,

परीक्षा नियंत्रक (कार्यवाहक)

पृ॰क्र॰/ 1442 /परीक्षा/2011 बिलासपुर, दिनाँक : 03.12.2011

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को माननीय कुलपति/कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ॰ग॰)
03. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर।
04. वित्ताधिकारी, वित्त शाखा, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर।
05. समस्त अधिकारीगण समस्त विभाग।
06. समस्त संकाय प्रभारी।
07. अनुभाग अधिकारी (परीक्षा/गोपनीय/वित्त)
08. मीडिया प्रभारी/विभागाध्यक्ष, संगणक विभाग की ओर उक्त अधिसूचना को वि0वि0 की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
09. सम्पादक/प्रतिनिधि दैनिक .... को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को छात्रहित में अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

सहायक कुलसचिव(परीक्षा)

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ॰ग॰)

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)
Tel: 07752-260000, 260003, Fax: 07752-260154, 260148
Website: www.ggu.ac.in

क्र॰/ 1443 /परीक्षा/2011 बिलासपुर, दिनाँक : 03.12.2011

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ॰ग॰)

विषय : मुख्य परीक्षा वर्ष 2012 (सत्र 2011–12) हेतु परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषण करने संबंधी आवश्यक निर्देश ।

महोदय,

विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाओं हेतु परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय आवेदन पत्रों की कृपया विधिवत एवं नियमानुसार सम्यक जांच कर लें। इस संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय।

01. स्नातक भाग–एक में छात्र/छात्राएं पात्रतानुसार पूरक (वर्ष 2011 के) /भूतपूर्व (Ex.)(सत्र 2010–11 की मुख्य परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी के रूप में शामिल एवं अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी) प्रचलित पाठ्यक्रमानुसार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें।

02. स्नातक भाग–दो में 10+2+3 प्रणाली के अंतर्गत स्नातक भाग–एक पुराना पाठ्यक्रम से परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र अथवा स्नातक भाग–दो में पूरक/भूतपूर्व/अनुत्तीर्ण छात्र ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

03 स्नातक भाग–तीन में 10+2+3 प्रणाली के अंतर्गत स्नातक भाग–दो की परीक्षा उत्तीर्ण अथवा स्नातक भाग–तीन में पूरक/भूतपूर्व/अनुत्तीर्ण छात्र ही प्रचलित पाठ्यक्रम से परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।
मुख्य परीक्षाएं परीक्षा संबंधी सामान्य अध्यादेश क्र॰–05 एवं 06 तथा विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित अध्यादेशों में दिये गये प्रावधानों एवं नियमों के अंतर्गत संचालित होगी।

04 एम॰ए॰/एम॰ एससी॰/एम॰कॉम॰ की पूर्वार्द्ध परीक्षाओं में छात्र/छात्राएं पात्रतानुसार भूतपूर्व (Ex.)(सत्र 2010–11 की मुख्य परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी के रूप में शामिल एवं अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी) परीक्षार्थी के रूप में प्रचलित पाठ्यक्रमानुसार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें।

05 असंस्थागत (स्वाध्यायी) परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र संबंधित परीक्षा के लिये विश्वविद्यालय के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर ही स्वीकार किये जायेंगे। ऐसे परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार के अंदर एक वर्ष से निवासरत रहने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र परीक्षा आवेदन

पत्र के साथ जमा करना होगा। निवास प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने की स्थिति में उनका परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित छात्र/छात्रा एवं अग्रेषणकर्ता महाविद्यालय की होगी।

06 प्राचार्यों द्वारा उनके महाविद्यालय/केन्द्रों में उपलब्ध बैठक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये स्वाध्यायी छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार किये जाय। महाविद्यालयों द्वारा अग्रेषित किये गये परीक्षा आवेदन पत्र के परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था का उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा। बैठक व्यवस्था के लिये कुर्सी–टेबल ढुलाई आदि पर किया गया व्यय विश्वविद्यालय द्वारा मान्य नहीं होगा, किन्तु विशेष परिस्थिति में इस हेतु कुलसचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लिया जाना आवश्यक है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्र में अन्य महाविद्यालय के छात्रों का परीक्षा केन्द्र रखा जाना विश्वविद्यालय का अधिकार होगा।

07 महाविद्यालय के परीक्षा प्रभारी द्वारा परीक्षा फार्म स्वीकार करते समय यह अनिवार्य रूप से जॉच कर लें कि परीक्षार्थी ने सभी विवरण (जानकारी/दस्तावेज) पूर्ण रूप से अंकित कर दिये हैं । आधे– अधूरे भरे परीक्षा आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार/अग्रेषित न करें।

08 (i) स्वाध्यायी (स्नातक प्रथम वर्ष' एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध को छोडकर)/पूरक/भूतपूर्व परीक्षार्थी परीक्षा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक की कोर बैंकिग शाखा में (चालान के माध्यम से) जमा करें । मूल चालान की एक प्रति परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर परीक्षा आवेदन पत्र महाविद्यालय में जमा करने के पश्चात पावती अवश्य प्राप्त करें ।

(ii) सत्र 2011–12 की मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों से ली जाने वाली परीक्षा शुल्क तालिका संलग्न है।

09 महाविद्यालयों द्वारा असंस्थागत (स्वाध्यायी)(स्नातक प्रथम वर्ष' एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध को छोड़कर)/भूतपूर्व/पूरक परीक्षार्थियों को विक्रय किये गये परीक्षा आवेदन पत्रों के बाद शेष बचे परीक्षा आवेदन फार्म एवं परीक्षा फार्म, शुल्क का चालान विश्वविद्यालय की भण्डार शाखा में पृथक से जमा किया जाय। भण्डार शाखा से परीक्षा आवेदन पत्रों की राशि बकाया नहीं होने संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे।

10 महाविद्यालय/केन्द्रो में जिन विषयों/कक्षाओं की स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर नियमित अध्यापन की व्यवस्था है, उन्हीं कक्षाओं/विषयों में असंस्थागत (स्वाध्यायी) (स्नातक प्रथम वर्ष' एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध को छोडकर) परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र नियमानुसार स्वीकार किये जायें किन्तु जिन महाविद्यालयों को पूर्व में अतिरिक्त कक्षाओं/विषयों के परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार करने की अनुमति दी गई है, उनकी सुविधाएं यथावत रहेंगी। विशेष प्रकरणों में विश्वविद्यालय की अनुमति आवश्यक होगी।

11 स्वशासी महाविद्यालयों से अधूरा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पहले विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग से पात्रता/अनुमति प्राप्त करना होगा। बिना अनुमति/पात्रता के ऐसे छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित नहीं किये जाय।

12 विषय समूह–अ (बी॰ए॰ भाग एक भूतपूर्व (Ex.) (सत्र 2010–11 की मुख्य परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी के रूप में शामिल एवं अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी) दो तथा तीन मुख्य परीक्षा 2012 हेतु निर्धारित विषय एवं परीक्षार्थियों द्वारा चयन किये जाने वाले विषयों की जानकारी निम्नानुसार दी जा रही है)

i. (1) अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम (2) पर्यावरण अध्ययन।

ii. वैकल्पिक विषय – निम्नलिखित आठ विषयों समूहों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन किया जाय (एक समूह में से केवल एक ही विषय का चयन किया जावे)

(1) समाजशास्त्र (2) अर्थशास्त्र/मनोविज्ञान (3) राजनीतिशास्त्र/दर्शनशास्त्र (4) भूगोल (5) इतिहास/संगीत/शिक्षा (6) हिन्दी साहित्य (7) गृह विज्ञान/गणित/अंग्रेजी साहित्य (8) संस्कृत साहित्य

इस प्रकार से उक्त समूहों में से कुल तीन विषयों का चयन किया जाना है। कोई परीक्षार्थी किसी एक विषय समूह में से एक से अधिक विषय लेता है तो उसका परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। इसका उत्तरदायित्व स्वयं परीक्षार्थी एवं अग्रेषणकर्ता महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा।

स्नातक भाग–दो एवं तीन के छात्र/छात्रा स्नातक प्रथम वर्ष में लिये गये विषय की परीक्षा स्नातक भाग–दो एवं तीन में दे सकेगें।

13 छ॰ग॰ के अतिरिक्त अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों/बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले छात्र/छात्राओं को संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड का मूल/प्रवजन प्रमाण पत्र, आव्रजन शुल्क तथा विश्वविद्यालय के अकादमिक शाखा द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा एवं इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित छात्र/छात्रा एवं अग्रेषणकर्ता महाविद्यालय का होगा।

14 स्नातक भाग–एक के परीक्षार्थियों की 10+2 की अंकसूची में संबंधित बोर्ड के नामांकन नम्बर का अंकित होना आवश्यक है। ऐसा नहीं होने पर विश्वविद्यालय द्वारा छात्र का नामांकन नहीं किया जायेगा। ऐसे छात्रों को परीक्षा में प्रवेष नहीं दिया जायेगा। ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन पत्र भरने से पूर्व ही संबंधित बोर्ड से नामांकन प्राप्त कर लें। अग्रेषणकर्ता महाविद्यालय से निवदेन है कि वे ऐसे परीक्षा आवेदन पत्रों को अग्रेषित नं करें।

15 छ॰ग॰ राज्य स्थित अन्य विश्वविद्यालयों से स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को इस विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रवेश हेतु मूल प्रवजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्हें पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यकता नहीं है।

जिन परीक्षार्थियों ने विधि अथवा अन्य स्नातकोत्तर परीक्षाओं के पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं किया है अर्थात जिनके पाठ्यक्रम अधूरे हैं उन्हें परीक्षा में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग से प्रश्न पत्र चयन एवं

अनुमति संबंधी पात्रता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में ऐसे छात्र/छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित छात्र/छात्रा एवं अग्रेषणकर्ता महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा।

16 पात्रतानुसार स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध परीक्षा में लघुशोध प्रबंध लेने वाले नियमित छात्र/छात्राओं के लघुशोध प्रबंध का शीर्षक नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। छात्र/छात्राअें के लघुशोघ प्रबंध अपने महाविद्यालय के माध्यम से संबंधित परीक्षा समाप्त होने की तिथि से 15 दिवस के पूर्व विश्वविद्यालय में जमा किये जाय। इस अवधि के बाद प्रस्तुत लघुशोध प्रबंध मान्य नहीं होंगे।

17 परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्हतादायी परीक्षा की अंकसूची की प्रति महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है। अप्रमाणित फोटोकापी मान्य नहीं होगी।

18 स्वाध्यायी छात्र/छात्राओं द्वारा लिये गये जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है, उनकी प्रायोगिक परीक्षा उसी केन्द्र पर आयोजित होंगी, जहां उन्होने प्रायोगिक कार्य किया है तथा जहां से उनका परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया है।

19 अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जा सकेगें। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अग्रेषण अधिकारी/छात्र की होगी।

20 कृपया नियमित छात्रों की भांति स्वाध्यायी छात्रों को भी इस संबंध में निर्देशित करें कि वे सत्र 2011-12 में प्रभावशील मान्य पाठ्यक्रमों के अनुसार ही अनिवार्य एवं ऐच्छिक प्रश्न पत्रों का चयन करें, अन्यथा भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की विसंगति के लिये संबंधित छात्र एवं महाविद्यालय के अग्रेषणकर्ता प्राचार्य ही उत्तरदायी होंगे।

परीक्षा नियंत्रक

पृ०क्र०/1444 /परीक्षा/2011 बिलासपुर, दिनाँक : 03.12.2011

प्रतिलिपिः–

01. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक/शीघ्रलेखक की ओर माननीय कुलपति/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ अग्रेषित।

02. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अनुभाग अधिकारी (परीक्षा/गोपनीय/अकादमी)।

03. संबंधिक कार्य सहायक (परीक्षा)।

04. मीडिया प्रभारी/विभागाध्यक्ष, संगणक विभाग की ओर उक्त निर्देश को वि0वि0 की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सहायक–कुलसचिव (परीक्षा)